महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों में लगेगा लॉकडाउन

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना की रफ्तार पर नियंत्रण नहीं होने के कारण शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 14 हजार पार हो चुकी है। संक्रमण को रोकने के लिए कुछ और जिलों में कलेक्टरों द्वारा 6 अप्रैल से 23 अप्रैल के मध्य लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन की अवधि में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियां जिला दंडाधिकारियों द्वारा जारी आदेश में आगामी आदेश पर्यन्त रद्द की गई है।

दुर्ग- 6 अप्रैल से 14 अप्रैल, रायपुर- 9 अप्रैल से 19 अप्रैल, राजनांदगांव- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल, बेमेतरा- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल, बालोद- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल, 6. बलौदाबाजार- 11 अप्रैल से 19 अप्रैल, 7. कोरिया- 11 अप्रैल से 19 अप्रैल, 8. धमतरी- 11 अप्रैल से 26 अप्रैल, जशपुर- 11 अप्रैल से 18 अप्रैल, कोरबा- 12 अप्रैल से 21 अप्रैल, सरगुजा- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल, सूरजपुर- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल, रायगढ़- 14 अप्रैल से 22 अप्रैल, महासमुंद- 14 अप्रैल से 22 अप्रैल, कवर्धा- 15 दिन का आंशिक लॉक डाउन, गरियाबंद - 13-4-2021 से 23-4-2021 तक 17. बिलासपुर - 14 अप्रैल - 21 अप्रैल, जांजगीर-चाम्पा - 13 अप्रैल - 23 अप्रैल।

मनेंद्रगढ़,पीजीएम और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटके

पेंड्रा/मनेन्द्रगढ़ (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सीमा से लगे दो जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ और बैकुण्ठपुर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं, ये भूकंप के झटके आज 12 बजकर 52 मिनट पर आए हैं। वहीं मध्यप्रदेश के अनूपपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 12.54 मिनट पर झटके महसूस किए गए हैं। झटके लगभग 5 सेकंड के लिए महसूस किए गए हैं। हालांकि इस भूकंप में किसी भी प्रकार की जनधन की हानि की खबर नहीं मिली है। इधर सूत्रों के अनुसार आज दोपहर में गौरेला के कई हिस्सों में भूकंप के हल्के झटके लगने से लोग भयभीत हो गए। पेंड्रा में भी झटके महसूस किए गए। मरवाही, सिवनी, परासी, भर्री-डाँड़ में 12 बजकर 54 मिनट में 2 सेकंड के लिए भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। खबर लिखे जाने तक कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वहीं अनूपपुर में भी हल्के झटके महसूस किए गए। राज नगर में भूकंप के झटके लगे जोकि लगभग 5 सेकंड तक रहे।

दो वाहन छोड़ सरगना फरार, तीन आरोपियों से 320 किलो गांजा जप्त

कोरबा (आरएनएस)। जिले में दो स्थानों पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोच लिया। वाहन में कई लाख का मादक पदार्थ गांजा मिला है। जिसे जब्त कर लिया गया। इन वाहनों को छोडने़ के साथ आरोपी फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पसान और जटगा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लॉकडाउन से ठीक पहले की जा रही तैयारी के मद्दे नजर कई जगह चेकपाईंट बनाये गये है। यहां पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। बताया गया कि उड़ीसा के झारसुगड़ा से बोलेरो और स्कार्पियों में बोरी के जरिए गांजा लाया जा रहा था। इसे एमपी में कई जगह खपाने की तैयारी थी। जटगा पुलिस ने जांच के दौरान बोलेरो को पकड़ लिया। जबकि पसान क्षेत्र में पुलिस की सख्ती को देखकर चालक ने स्कार्पियों को खेत में उतार दिया और फरार हो गया। इस मामले में जांजगीर के विरेंद्र चंद्रा और अनुपपुर के दौलत केंवट सरगना की भूमिका में थे जो फरार हो गए। उनके तीन साथी पुलिस के कब्जे में आए है। जब्त किये गये गांजा की मात्रा 320 किलो बताई गई है। इसे उड़ीसा के झारसुगड़ा से हासिल किया गया था और मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा था। इससे पहले मुखबीर ने पुलिस के कान भर दिए।

मालवाहक ने मजदूर को चपेट में लिया, मौके पर मौत

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग पर पताड़ी के समीप तेज रफ्तार भारी वाहन ने साइकिल सवार की जान ले ली। उरगा पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम किया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार मृतक 25 वर्षीय मानिकपुर निवासी रमेश उरांव राज मिस्त्री का काम करता था और अपने ससुराल पताड़ी में रहता था। रोज की तरह मजदूरी करने कोरबा आया हुआ था। काम कर जब वापस पताड़ी वापस लौट रहा था। इस दौरान पताड़ी पुल के पास तेज रफ्तार वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना उरगा थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद मर्ग कायम करने के साथ आगे की प्रक्रियाएं पूरी की गई और शव को पोस्टमार्टम कर लिए जिला अस्पताल रवाना किया।

राज्य का बजट न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला : भूपेश

- » छत्तीसगढ़ के नये बजट में सभी वर्ग के लोगों का हित शामिल
- » जन-जन का विकास हमारा मुख्य ध्येय
- » राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नए बजट में 5 हजार 703 करोड़ रूपए का प्रावधान
- » भूमिहीन श्रमिकों को नियमित आय से जोड़ने नवीन न्याय योजना
- » कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ 24 हजार प्रसूता बहनों को मिलेगा
- » गोधन न्याय योजना में हितग्राहियों को 90 करोड़ रुपए का भुगतान
- » गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ रूपए का प्रावधान
- » स्व-सहायता समूहों ने वर्मी खाद उत्पादन तथा बिक्री, गोबर दीया निर्माण आदि कार्यों से अर्जित की लगभग 950 करोड़ रूपए की आय
- » किसानों को 5 हजार 900 करोड़ रूपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरण का लक्ष्य

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी की 17वीं कड़ी में कहा कि छत्तीसगढ़ का बजट न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें कोरोना काल के सबक ग्लोबल इंसानियत तथा लोकल संसाधनों से स्थानीय लोगों के सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 'नया बजट-नए लक्ष्य' विषय पर श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न फसल लेने वाले किसान भाइयों को किसी न किसी तरीके से सशक्त बनाना है। पहले साल हमने 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान किया। दूसरे साल समर्थन मूल्य पर खरीदी के नियम के अनुसार समर्थन मूल्य का भुगतान किया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना आदि फसल लेने वाले लगभग 19 लाख किसानों को 5 हजार 628 करोड़ का भुगतान किया गया। इस साल हमने 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है, जो प्रदेश के इतिहास में धान खरीदी का सबसे बड़ा कीर्तिमान है। इस वर्ष भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को नगद सहायता देने के लिए 5 हजार 703 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा है।

इसके अलावा चिराग योजना के तहत 7 आदिवासी बहुल जिलों और मुंगेली जिले के 14 विकासखण्डों में पोषण सुरक्षा व किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 150 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। किसानों को बिना ब्याज ऋण देने के लिए इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य 5 हजार 900 करोड़ रूपए ऋण वितरण का रखा है, जिसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। किसानों को रियायती तथा निःशुल्क बिजली देने के लिए 2 हजार 500 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण पर लगभग 1000 करोड़ रूपए खर्च होंगे। सोलर पम्पों के लिए 530 करोड़ रूपए का प्रावधान है तो लगभग 35 हजार लंबित सिंचाई पम्प कनेक्शन देने का काम भी पूर्ण किया जाएगा, जिसमें करीब 350 करोड़ रूपए खर्च होंगे। उद्यानिकी फसलों के विकास के लिए अनुदान सहायता पर 495 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। किसानों की जेब में जो पैसा डाला जा रहा है, वह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन और खुशहाली में लगे। इस तरह किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारी सरकार कृत-संकल्पित है।

भूमिहीन श्रमिकों को नियमित आय से जोड़ने नवीन न्याय योजना

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों की सहायता हेतु नवीन न्याय योजना का उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों को नियमित आय सुनिश्चित करना है। हमने न्याय को जरूरतमंद तबकों की आय से जोड़ा है क्योंकि एक निश्चित आय मिलने से ही किसी व्यक्ति का जीवन संवारा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना अंतर्गत 2 रूपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने का काम जारी रहेगा। गोबर खरीदी पर हमने राज्य सरकार की तरफ से हालांकि लगभग 90 करोड़ रूपए का भुगतान किया है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि गौठानों के माध्यम से स्व-सहायता समूहों ने वर्मी खाद उत्पादन तथा बिक्री, गोबर दीया निर्माण आदि कार्यों से लगभग 950 करोड़ रूपए की आय प्राप्त की है।

रायपुर, दुर्ग,बिलासपुर, कोरबा, भिलाई और रिसाली में स्थापित होगा विद्युत शवदाहगृह

» नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया की पहल पर राशि की मिली स्वीकृति

रायपुर (आरएनएस)। कोविड 19 महामारी के कारण हो रही अधिक मौतों और मुक्तिधाम में शव जलाने में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों से निपटने के लिए विद्युत शवदाहगृह स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने मुक्तिधामों में मौत के बाद शव जलाने में लम्बा इंतजार और लोगों को आ रही कठिनाइयों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर,कोरबा,भिलाई और रिसाली नगर निगम में विद्युत शवदाहगृह स्थापित करने आवश्यक निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और भिलाई और दुर्ग,रिसाली नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में अल्पकालीन निविदा/ ईओआई जारी करने 7 दिवस की अनुमति प्रदान की गई है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, कोरबा में विद्युत शवदाहगृह के लिए पूर्व में ही अनुमति दी जा चुकी थी जबकि रिसाली और दुर्ग के लिए अधोसंरचना मद से अलग अलग 47 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा आयुक्तों को शीघ्र ही विद्युत शवदाहगृह स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में कोरोना संक्रमितो की संख्या 14098 पहुंची

» उपचार के दौरान 97 की हुई मृत्यु, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सर्वाधिक प्रभावित

रायपुर (आरएनएस)। शहर सहित प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या में एकाएक बढ़त के कारण हालात गंभीर हो गये हैं। प्रदेश में एक के बाद एक जिला कलेक्टरों द्वारा लॉक डाउन लगाया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए उपयोग में आने वाला प्रमुख इंजेक्शन रेमडेसीविर की कमी के चलते मारा मारी की स्थिति है। निजी अस्पतालों में भी उक्त इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जिन दुकानों में इंजेक्शन है वहां भी स्थिति आज भर बिक्री की बची है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण रायपुर में 3797 मरीज कोरोना वायरस होने के कारण सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मरीजों को जगह फुल होने का हवाला देते हुए भर्ती करने से इंकार किया जा रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 के द्वितीय चरण में गत 24 घंटे में पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या 14098 पहुंची है। उपचार के दौरान 97 मरीजों की मृत्यु हुई।

जिलेवार कोरोना संक्रमितों के मामले

दुर्ग-2272, राजनांदगांव-978, बालोद-385, बेमेतरा-381, कबीरधाम-538, रायपुर-3797, धमतरी-384, बलौदाबाजार-717, महासमुंद-533, गरियाबंद-193, बिलासपुर-895, रायगढ़-480, कोरबा-429, जांजगीर-चांपा-493, मुंगेली-198, पेण्ड्रागौरेला मरवाही-78, सरगुजा-194, कोरिया-138, सूरजपुर-235, बलरामपुर-68, जशपुर-250, बस्तर-149, कोण्डागांव-28, दंतेवाड़ा-28, सुकमा-14, कांकेर-229, बीजापुर-10, अन्य राज्य से 4 एवं नारायणपुर से एक भी मरीज नहीं पाया गया है।

शनिवार रात 8 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार विगत 24 घंटे में सर्वाधिक रायपुर 3797, दुर्ग 2272 एवं राजनांदगांव में 978 मरीज कोरोना संक्रमित दर्ज किये गये हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर की स्थिति इन दिनों काफी गंभीर है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर कलेक्टर रायपुर द्वारा 10 दिवसीय लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना सेंटर के अनुसार प्रदेश में अब तक सर्वाधिक 4,32,776 कोरोना मरीज दर्ज किये गये हैं।

कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसीविर इंजेक्शन की मारामारी

रायपुर (आरएनएस)। विशेषज्ञों के मुताबिक, कोरोना के मरीजों को ऑक्जीजन लेवल डाउन होने पर रेमडेसीविर का इंजेक्शन लगाया जाता है. पहले 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसके बाद 2 और फिर 4-5 दिन का कोर्स होता है. रेमडेसीविर को अलग-अलग दवा कंपनी बनाती है. कंपनियों के हिसाब से इंजेक्शन 900 रुपए से 4000 रुपए तक का मिलता है, लेकिन कोरोना के दूसरे लहर में मरीजों की संख्या में यकायक इजाफा होने से रेमडेसीविर की किल्लत हो गई है. न तो यह मेडिकल दुकानों में मिल रहे हैं, और न ही निजी अस्पताल में. हालत यह है कि जिन दुकानों में उपलब्ध है, वहां इसको लेने के लिए लोगों के बीच मारामारी की स्थिति है.

रेमडेसीविर की किल्लत की खबरों के बीच रायपुर के व्यस्त मेडिकल कॉम्पलेक्स में पता किया तो यकीन करना मुश्किल था कि तमाम दुकानों के बीच केवल एक ही मेडिकल दुकान में रेमडसीविर उपलब्ध था, और वहां भी इंजेक्शन को लेने के लिए लोगों में आपाधापी मची थी. मास्क तो ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नामो-निशान नहीं था. लेने वाले भी मजबूर, दुकानदार भी मजबूर. लोग जिस कीमत में इंजेक्शन मिल रही थी बिना किसी बहस के उसे लेकर रवाना हो रहे थे, क्योंकि जब मरीज की जान बचानी तो को कीमत बेमायने हो जाती है.

गिनती के मेडिकल दुकानों में उपलब्ध

रेमडेसीविर इंजेक्शन के महत्व को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से राजधानी रायपुर में 12 मेडिकल दुकानों में उपलब्ध कराया गया है. लेकिन इन दुकानों में भी रेमडेसीविर इंजेक्शन मिलना मुश्किल है, क्योंकि इंजेक्शन की आपूर्ति ही नहीं के बराबर है. ऊपर बात करने पर वहां से भी आपूर्ति नहीं होने की जानकारी दी जाती है.

महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में छत्तीसगढ़ सरकार

सूत्रों के मुताबिक् तमाम दवा कंपनियों के कार्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र में है, ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इन दवा कंपनियों पर रेमडेसीविर की आपूर्ति को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सहयोग की उम्मीद की है सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदो से रेमडेसीविर की उपलब्धता को लेकर चर्चा की है. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सहयोग करने का आग्रह किया है, जिससे कोरोना संक्रमितों की जान बचायी जा सके.

कोरोना नियंत्रण के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 50करोड़ रू.की मंजूरी : संधाधन बढ़ाने की एक और पहल

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रोकथाम के प्रयासों में और तेजी लाने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से पचास करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है जो इस मद में पूर्व में दी गई 192.37 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। बघेल ने वर्ष 2021- 22 के लिए प्रावधानित राशि में से उपरोक्त पचास करोड़ रुपये की राशि तत्काल स्वीकृत कर स्वास्थ्य विभाग को देने का निर्णय लेते हुये यह निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु नमूनों के संकलन , स्क्रीनिंग , नवीन प्रयोग शालाओं की स्थापना , कोविड अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये किया जायेगा ।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व विभिन्न मदों से विगत एक वर्ष में 853 करोड़ रुपये से अधिक राशि का आबंटन श्री बघेल के निर्देश पर कोविड नियंत्रण से संबंधित विभिन्न कार्यो के लिए किया जा चुका है , जिसमें जांच एवं उपचार के साथ ही विभिन्न स्तरों पर अधोसंरचना का विकास शामिल हैं। श्री बघेल ने समस्त जिला कलेक्टरों और विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि आर्थिक तथा विभिन्न संसाधनों की किसी भी हालत में कोई कमी न होने दी जाए ।

जमीन विवाद के चलते युवक को डंडे से मारकर किया घायल, गंभीर

कवर्धा (आरएनएस)। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, कि थाने में दर्ज प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द कर आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और क्षेत्र अपराध मुक्त हो सके, इसी तारतम्य में प्रार्थी मोहित यादव निवासी सारंगपुर चौकी पोड़ी द्वारा दिनांक -29/03/2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरे पिता जगुआ यादव को आरोपी नारायण यादव द्वारा जमीन विवाद को लेकर डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, कि रिपोर्ट पर थाना बोड़ला में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जगुआ यादव को गंभीर अवस्था में बोड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे गंभीर चोट लगी थी जिसका मेडिकल रिपोर्ट विवेचना के दौरान अस्पताल से प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा 307 आईपीसी जोड़ा गया। तथा आरोपी का पता तलाश कबीरधाम पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ऋचा मिश्रा तथा अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक संतराम सोनी के दिशा निर्देश में चौकी पोड़ी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक संदीप चौबे के द्वारा टीम बनाकर किया जा रहा था, जिन्हें सफलता प्राप्त हुई और फरार आरोपी नारायण यादव को तलाश कर ग्राम बिजरहा से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड पर जेल भेजा गया।

माओवादियों ने वाहनों में की आगजनी, वाटर फिल्टर प्लांट निर्माण में लगे थे वाहन

बीजापुर (आरएनएस)। वाटर फिल्टर प्लांट के निर्माण कार्य मे लगे वाहनों को दिन दहाड़े नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है । घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल घटना स्थल की ओर रवाना हो गई है । एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया कि नैमेड थाना क्षेत्र के मिनगाचल नदी में बीजापुर नगर में पानी की आपूर्ति के लिए वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है । इस कार्य मे लगे वाहनों को नक्सलियों ने चालको को वाहन से उतार कर आग के हवाले कर दिया है । घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल को घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है ।

कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर 36900 रू. अर्थदण्ड

कोरबा (आरएनएस)। मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर निगम की कार्यवाही निरंतर आज भी जारी रही, आज निगम अमले ने 36900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे घर से निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोरोना प्रोटोकाल को न तोड़े।

कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, अन्य सभी एहतियाती कदमों के साथ-साथ घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने तथा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने पर विशेष बल दिया जा रहा है, वहीं प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त श्री एस.जयवर्धन के दिशा निर्देशन में नगर निगम के सभी 08 जोन में निगम अमले द्वारा निरंतर इन पर कड़ी नजर रखते हुए अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। आज भी यह कार्यवाही जारी रही तथा निगम के सभी जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन व कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने वालों पर 36900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इस दौरान राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत में 11900 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 13000 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1700 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 6500 रूपये, बांकीमांगरा जोनांतर्गत 1000 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 800 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU